

**मुख्य अभियंता का कार्यालय
योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन,
जल संसाधन विभाग, राँची**

पत्रांक—मु०अ० (मो०) 491 / 2002 /

/राँची, दिनांक—.....

प्रेषक,

ई० अशोक कुमार,
मुख्य अभियंता।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
(लघु सिंचाई, सहित)

E-mail

विषय:— WAMIS के अन्तर्गत Online billing से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के संबंध में।

प्रसंग:— प्रधान सचिव द्वारा Video Conferencing में दिया गया निर्देश पत्रांक—508 दिनांक—06.07.2017


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि WAMIS के अन्तर्गत online billing पर प्रशिक्षण हेतु अपने प्रक्षेत्राधीन प्रत्येक प्रमण्डलों के दो नवनियुक्त नामित कनीय अभियंता को Master Trainer के रूप में Laptop/Tab के साथ प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु संलग्न कार्यक्रम के अनुसार निदेशित किया जाय।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक—17.08.2017 से 22.08.2017 तक 10:00 बजे पूर्वाह्न से 5:00 बजे अपराह्न तक कन्फरेन्स हॉल, चतुर्थ मंजिल, जल भवन, डोरण्डा में आयोजित है।

विश्वासभाजन


अनु०—यथोक्त।


(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

पत्रांक—मु०अ० (मो०) 491 / 2002 /6/11

/राँची, दिनांक—10/08/2017

प्रतिलिपि:— निदेशक IT & e-Governance, झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, राँची/श्री महावीर तिकी, टेकनीकल कन्सलटेंट, C-DAC/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/अभियंता प्रमुख-1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग Website पर Uploading हेतु/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची को आवश्यक व्यवस्था हेतु प्रेषित।


10/8/2017
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)